रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 1987/पौष 22, 1908
No. 21] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 1987/PAUSA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 24(अ) :—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 जनवरी, 1987 को ऐसी तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध, धारा 15 से 34 को छोड़कर, प्रवृत्त होंगे ।

[2 (8)/बी आई एफ आर/86]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 12th January, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 24 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby appoints the twelfth day of January, 1987 as the date on which the provisions of the said Act, except sections 15 to 34, shall come into force.

[2(8)/BIFR/86]

अधिसूचना

सा.का.नि. 25(अ) :—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 जनवरी, 1987 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री आर गणपति — अध्यक्ष
   भूतपूर्व सचिव (व्यय)
   भारत सरकार

2. श्री एम. एस. नारायणन — सदस्य
   भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष
   कर बोर्ड, भारत सरकार

3. डाक्टर महफूज अहमद — सदस्य
   आर्थिक सलाहकार,
   आर्थिक कार्य विभाग,
   भारत सरकार

4. श्री बी. वी. कदम — सदस्य
   भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक
   भारतीय रिजर्व बैंक

5. श्री एन. सी. बनर्जी — सदस्य
   उप प्रबन्ध निदेशक
   भारतीय स्टेट बैंक

6. श्री पी. एन. शर्मा, नई दिल्ली — सदस्य

7. श्री टी. वी. मनसुखानी — सदस्य
   भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक
   हिन्दुस्तान मशीन टूल्स,
   बंगलौर

2. अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इसमें जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे ।

[सं. 2/1/बी आई एफ आर/86बी]

NOTIFICATION

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby establishes the Board for Industrial and Financial Reconstruction with effect from the twelfth day of January, 1987 and appoints the following persons as Chairman and Members of the said Board, namely :—

1. Shri R. Ganapati, former Secretary (Expen-
2. Shri M. S. Narayanan former Chairman, Central Board of Direct Taxes, Government of India. Member
3. Dr. Mehfooz Ahmed Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Government of India. Member
4. Shri B. V. Kadam former Executive Director, Reserve Bank of India. Member
5. Shri N. C. Banerjee Deputy Managing Director State Bank of India Member
6. Shri P. N. Sharma, New Delhi. Member
7. Shri T. V. Mansukhani former Chairman and Managing Director, Hindustan Machine Tools, Bangalore. Member

2. The Chairman and other Members shall hold office for a period of five years from the date they assume office or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[No. 2|1|BIFR|86-B]

अधिसूचना

सा.का.नि. 26(अ) :—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के (वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ।

3. वेतन:—(1) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन अनुज्ञेय है वह वेतन प्राप्त करेगा । सदस्य, भारत सरकार के सचिव को जो वेतन अनुज्ञेय है वह वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य-निधि में नियोजक का अभिदाय का अन्य रूप में सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन को उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन तथा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं, यदि कोई हैं, की सकल राशि में से कम कर दी जाएगी ।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता (1)—अध्यक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करेगा ।

(2) सदस्य, केन्द्रीय सरकार के सचिव के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह क 'अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करेगा ।

5. छुट्टी—(1) कोई व्यक्ति जो बोर्ड में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होता है वह निम्नलिखित छुट्टी के लिए हकदार होगा :—

(1) सेवा के प्रत्येक संपूरित कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए तीस दिन के हिसाब से अर्जित छुट्टी :

परन्तु यह कि छुट्टी लेखा में प्रत्येक केलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन 15 दिन की अर्जित छुट्टी, अग्रिम में, दो किस्तों में जमा की जाएगी :

परन्तु यह और कि पूर्व अर्ध वर्ष की समाप्ति पर जमा अर्जित छुट्टी अगले अर्ध वर्ष में ले जाई जाएगी । यह इस शर्त के अधीन है कि इस प्रकार आगे ले जाई गई छुट्टी तथा अर्ध वर्ष में जमा छुट्टी का योग एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।

(2) चिकित्सीय प्रमाणपत्र या निजी कार्यों पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष की बाबत अर्द्धवेतन छुट्टी और अर्द्ध-वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन, अर्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा।

(3) अर्द्धवेतन छुट्टी अध्यक्ष या सदस्य के विवेक पर पूर्ण वेतन छुट्टी के रूप में संगणित की जा सकेगी, परन्तु ऐसा तब जब यह चिकित्सीय आधार पर ली गई हो और इसके साथ किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सीय प्रमाणपत्र लगा हो;

(4) बिना वेतन और भत्तों के असाधारण छुट्टी, पदावधि की एक अवधि में एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक होगी।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी —अध्यक्ष, सदस्यों को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

7. भविष्य निधि —अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने विकल्प पर साधारण भविष्य निधि के लिए अभिदाय करने के लिए हकदार होगा और यदि वह ऐसा विकल्प देता है तो वह केन्द्रीय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

8. यात्रा भत्ता —(1) जब अध्यक्ष दौरे पर या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत बोर्ड में हाजिर होने के लिए या बोर्ड में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने स्वनगर को जाने के लिए की गई यात्रा भी सम्मिलित है) होगा तो वह यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी चीज वस्तु और अन्य वैसी ही वस्तुओं के परिवहन के लिए उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विहित हैं, हकदार होगा।

(2) जब कोई सदस्य दौरे पर या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत बोर्ड में हाजिर होने के लिए या बोर्ड में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने स्वनगर को जाने के लिए की गई यात्रा भी सम्मिलित है) होगा वह यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी चीजवस्तु, और अन्य वैसी ही वस्तुओं के परिवहन के लिए उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' अधिकारी सचिव को लागू हैं, हकदार होगा।

9. छुट्टी यात्रा रियायत —(1) अध्यक्ष, उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार होगा, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू है।

(2) अन्य सदस्य उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन, प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारी को लागू हैं।

10. वास सुविधा —(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बोर्ड में नियुक्त प्रत्येक सदस्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर दिल्ली स्थित भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के अधिकारी को अनुज्ञेय टाइप की साधारण पूल वास सुविधा से पदीय आवास के उपयोग के लिए यदि उपलब्ध हो, पात्र होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि से आगे पदीय आवास को अधिभोग मे रखता है तो वह, यथास्थिति अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराया संदाय करने के लिए दायी होगा और वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू नियमो के अनुसार बेदखली के लिए दायी होगा ।

11. सवारी की सुविधा .—(1) अध्यक्ष, एक स्टाफ कार और प्रतिमास एक सौ पचास लीटर पैट्रोल या प्रतिमास पेट्रोल की वास्तविक खपत का, इनमे से जो भी कम हो, हकदार होगा ।

(2) कोई सदस्य प्रतिमास सात सौ पचास रुपए सवारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

12. चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाए :—अध्यक्ष या अन्य सदस्य, चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सबधी सुविधाओं के लिए, अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में जैसा उपबन्धित है उसके अनुसार हकदार होंगे और ऐसे स्थानो मे, जहा केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन मे नही है, वहां अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय सेवाएं चिकित्सीय परिचर्या नियमों मे जैसा उपबन्धित है उसके अनुसार सुविधाओं के लिए हकदार होंगे।

13. अवशिष्टीय उपबन्ध .—अध्यक्ष और अन्य सदस्यो की सेवा शर्तों से सबंधित विषय, जिनकी बात इन नियमों मे कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, अध्यक्ष या अन्य सदस्य पर आबद्धकर होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति .—केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के सबध मे इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[स. 2/1/बी आई एफ आर/86-ए]
एस. सी त्रिपाठी, सयुक्त सचिव

NOTIFICATION

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and other Members) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986);

(b) "Board" means the Board for Industrial and Financial Reconstruction, established under section 4 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under section 4 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Board appointed under section 4 of the Act.

3. Pay—(1) The Chairman shall receive pay as admissible to a Judge of a High Court.

(2) A Member shall receive pay as admissible to the Secretary to the Government of India :

Provided that in the case of an appointment of a person as a Chairman, or as a Member, who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairman or Member shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance —(1) The Chairman shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a Judge of the Delhi High Court.

(2) A Member shall receive dearness allowance and city Compensatory allowance at the rate admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

5. Leave.—(1) A person, on appointment in the Board as Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows :

(i) Earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service or a part thereof :

Provided that the leave account shall be credited with earned leave, in advance, in two instalments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year :

Provided further that earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credit for the half year do not exceed the maximum limit of one hundred and eighty days.

(ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) Leave on half pay may be commutted to full pay leave at the discretion of the Chairman or a Member, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate by a competent medical authority;

(iv) Extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

6. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

7. Provident Fund.—The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the Central Provident Fund (Central Services) Rules.

8. Travelling Allowances.—(1) The Chairman while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Board or on the expiry of his term with the Board to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effect and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed in the High Court Judge (Travelling Allowances) Rules 1956.

(2) A Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Board or on the expiry of his term with the Board to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. Leave travel concession.—(1) The Chairman shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Judge of the Delhi High Court.

(2) A Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales as are applicable to Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay,

10. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Board as a Chairman or a Member shall be eligible, subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay and stationed at Delhi, on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where a Chairman or a Member occupies an official residence bevond permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he will be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government servants.

11. Facility of conveyance.—(1) The Chairman shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

(2) A Member shall be entitled to get a conveyance allowance of rupees seven hundred and fifty per mensem.

12. Facilities for medical treatment.—The Chairman or other Members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairman and Members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules.

13. Residuary provision .—Matters relating to the conditions of service of the Chairman or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government threon shall be binding on the Chairman or the other Member.

14. Powers to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. 2|1|BIFR|86-A]

S. C. TRIPATHI, Jt. Secy.

1439 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986